

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपीलीय अनुदान हेतु झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा-06 के आलोक में यथा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा-06 के आलोक में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में Online अपील आवेदनों पर विचार करने हेतु यथा प्रावधानित अनुदान समिति की बैठक दिनांक 15.09.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे आहूत की गई।

2. उपस्थिति :-संलग्नक के अनुसार।
3. सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त/राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कुल 107 प्राप्त आवेदन, इंटर महाविद्यालयों के कुल 89 प्राप्त आवेदन, प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालय के कुल 04 प्राप्त आवेदन एवं प्रस्वीकृति प्राप्त मदरसों के कुल 14 प्राप्त आवेदन अर्थात् कुल 214 Online अपील आवेदनों के संबंध में स्क्रीनिंग समिति द्वारा समर्पित अनुशंसा प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा विभागीय अनुदान समिति के द्वारा की गई।
4. ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थान, जिनका आवेदन शासी निकाय अद्यतन/पुनर्गठन नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किये गये थे, के संबंध में स्क्रीनिंग समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय अनुदान समिति द्वारा समेकित रूप से बैठक की तिथि तक प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन को स्वीकृत करते हुए उनके अपील आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की गई।
5. समिति द्वारा समीक्षोपरान्त माध्यमिक विद्यालयों के कुल 107 प्राप्त आवेदनों में से कुल 78 माध्यमिक विद्यालय (सूची संलग्न) अनुदान हेतु योग्य पाये गये। शेष 29 मामले को विभिन्न कारणों यथा; परिवाद/आरोप के जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने/प्राप्त रहने के उपरांत जांच प्रतिवेदन विभाग द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति योग्य पाये जाने/विद्यालय की झारखंड सरकार द्वारा सशर्त स्थापना अनुमति प्राप्त रहने/प्रस्वीकृति प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय (वित्त रहित संस्थान) के रूप में मान्यता रहने के फलस्वरूप शासी निकाय/प्रबंध समिति का विधिवत् गठन का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने/प्रस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत शासी निकाय का

अद्यतन गठन नहीं होने/विद्यालय की प्रस्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने एवं एक वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष का अनुदान स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाने/विद्यालय की कोटि के अनुरूप छात्र संख्या मानक से कम/वर्गकक्ष पर्याप्त नहीं रहने/प्रयोगशाला, पुस्तकालय से संबंधित जांच प्रतिवेदन के अनुसार नियमानुकूल नहीं/अपूर्ण एवं अस्पष्ट रहने/विद्यालय का सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से सम्बद्धता का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि के कारण अस्वीकृत किया गया।

6. समिति द्वारा समीक्षोपरान्त इंटर महाविद्यालयों के कुल 89 प्राप्त आवेदनों में से कुल 71 इंटर महाविद्यालय (सूची संलग्न) अनुदान हेतु योग्य पाये गये। शेष 18 मामलों को विभिन्न कारणों यथा; परिवाद/आरोप की जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवेदन अस्पष्ट रहने/अप्राप्त रहने/आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप परिवाद निष्पादन नहीं होने के कारण/जांच प्रतिवेदन में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला संबंधी फोटो स्वरूप साक्ष्य मानक के अनुरूप परिलक्षित नहीं होने/अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने/पूर्व निबंधित संस्था को हटाकर दूसरी संस्था को संचालक संस्था के रूप में रखा जाना नियम सम्मत नहीं होने/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से संस्थान की सम्बद्धता का साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहने/शासी निकाय से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने इत्यादि के कारण अस्वीकृत किया गया।

7. संस्कृत विद्यालय के कुल प्राप्त 4 मामले, जिसमें 2 विद्यालय अनुदान हेतु योग्य पाये गये तथा 02 विद्यालय का छात्र संख्या मानक के अनुरूप नहीं रहने कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. मदरसों के कुल 14 मामले, जिसमें सभी अनुदान हेतु योग्य पाये गये।

9. कृष्ण मुरारी पाण्डेय स्मारक हरिजन आदिवासी विकास उच्च विद्यालय, मुरहूल सूदी, बोकारो का प्राप्त परिवाद के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा अपूर्ण एवं अस्पष्ट जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

10. विभागीय अनुदान समिति द्वारा समीक्षा के दौरान कतिपय स्थापना अनुमति प्राप्त संस्थानों के संबंध में परिलक्षित तथ्यों से प्रतीत होता है कि झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा बिना जांच-पड़ताल एवं अभिलेखों के समीक्षा के ही इन्हें स्थापना अनुमति

प्रदान कर दी गई है। झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के इतर इन कतिपय माध्यमिक विद्यालयों को स्थापना अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में विभाग को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने एवं प्रमाणित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई व चिन्हित दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

11. विभागीय अधिसूचना संख्या-3227 दिनांक-23.09.2010 के द्वारा कतिपय संस्थानों के राजकीयकृत विद्यालय के रूप में स्थायी मान्यता को निरस्त करते हुए गैर सरकारी विद्यालय के रूप में प्रस्वीकृत मानते हुए अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने के फलस्वरूप उन संस्थानों के सोसायटी निबंधन की प्रति अप्राप्त रहने तथा उसमें उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में विधिवत् रूप से शासी निकाय/प्रबंध समिति संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त संस्थानों को अनुदान हेतु योग्य नहीं पाया गया तथा भविष्य हेतु उन अभिलेखों की प्राप्ति का निदेश दिया गया।

12. विभागीय पत्रांक-2021 दिनांक-28.07.2024 द्वारा स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय में सीट निर्धारण से संबंधित सभी संकाय हेतु निर्धारित 384-384-384 सीटों में 01 यूनिट यानि 128 सीट की वृद्धि के फलस्वरूप सभी संकाय में 512-512-512 सीट अथवा पूर्व में स्वीकृत यूनिट/सीट में जो भी कम हो, की स्वीकृति दी गई है, के आलोक में इंटर महाविद्यालयों को छात्रों की संख्या के आधार पर राशि स्वीकृत की गई।

13. कतिपय इंटर महाविद्यालयों, जिनके वाणिज्य संकाय में नियमानुसार प्रथम वर्ष में न्यूनतम छात्र संख्या 32 से कम है, को छोड़कर निर्धारित Slab के अनुसार राशि स्वीकृत की गई है।

14. लोहरदगा जिला के कतिपय वित्त रहित संस्थानों में से **02 माध्यमिक विद्यालय** यथा; 1. उच्च विद्यालय, जामुनटोली, बगडू, किस्को, लोहरदगा तथा 2. गिरिवर शिशु सदन उच्च विद्यालय, लोहरदगा, **01 मदरसा** (मदरसा दिनिया रशिदिया, लोहरदगा) एवं **01 संस्कृत विद्यालय** (शंकराचार्य उच्च विद्यालय, हरमू, लोहरदगा) द्वारा वित्तीय वर्ष

2025-26 के अनुदान हेतु Online आवेदन समर्पित करने, किन्तु जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा विभाग को सम्प्रेषित न करने संबंधी तथ्य संज्ञान में आने पर नैसर्गिक न्याय के तहत संस्थान हित में विभागीय अनुदान समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उन संस्थानों के आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा पुनः जांचोपरान्त नियमसंगत सम्प्रेषण करने हेतु विभागीय अनुदान पोर्टल को Open करने की सूचना पत्र के माध्यम से दी जाय तथा उक्त पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनुदान स्वीकृति के संबंध में अलग से विचार करने का निर्णय लिया गया।

15. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड को यह स्पष्ट निदेश देने का निर्णय लिया गया कि क्रमांक-13 में उल्लेखित व्यवस्था एकवारीय होगी। इसे पूर्वोद्धाहरण नहीं समझा जायेगा। साथ ही इस प्रकार की भविष्य में कतई पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखने का निदेश दिया गया। यदि पुनः ऐसे दृष्टान्त प्राप्त होते हैं तब नियमानुसार संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

16. उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड/नीति के तहत की गई समीक्षा एवं निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कतिपय संस्थानों द्वारा किये गये अपील आवेदन के आधार पर अनुदान की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई। स्वीकृत एवं अस्वीकृत मामलों की पूर्ण विवरणी संलग्न है। संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :-

क्र. सं.	संस्थान	कुल प्राप्त अपील आवेदन	समिति द्वारा विचार किये गए अपील आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा स्वीकृत किये गए कुल अपील आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा अस्वीकृत किये गए अपील आवेदनों की संख्या	कुल प्रस्तावित राशि (रु. में)
1	स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय	107	107	78	29	66720000.00
2	स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय	89	89	71	18	248040000.00
3	प्रस्वीकृत मदरसा	14	14	14	00	6120000.000
4	प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय	04	04	02	02	1920000.00
	कुल	214	214	165	49	322800000.00

(बत्तीस करोड़ अठाईस लाख रुपये मात्र)

17. संस्थानों को इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि का 15% अनावर्ती व्यय में व्यय किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड को यह सख्त निदेश दिया जाता है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अविलम्ब नियमानुसार जांच कर संबंधित संस्थानों को अनुदान की राशि का मिलान कर वितरण करेंगे एवं इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे, अन्यथा की स्थिति इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

18/09/2026
(विजय नारायण)
अवर सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड,
रांची के प्रतिनिधि।

(राजेश प्रसाद)
निदेशक, मा०शि०,
झारखंड, रांची।

18/09/26
(उमा शंकर सिंह)
सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग, झारखण्ड रांची।